राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांकः एफ. 9 (   ) E.C. / निवेश / प.वि. / 2022 / 3047   दिनांकः 18 MAY 2022

आदेश

वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 166 के अन्तर्गत पर्यटन व हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र (Tourism and Hospitality Sector) को औद्योगिक क्षेत्र (Industry Sector) के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है और भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial norms के अनुसार ही Government tariff व Levies देय होंगे।

औद्योगिक लाभ हेतु Entitlement Certificate के लिए निम्न पर्यटन इकाइयाँ पात्र होंगीः–

I. राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, 2015 में परिभाषित इकाइयाँ यथाः–

1. होटल एवं मोटल
2. हैरिटेज होटल
3. बजट होटल
4. रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया
5. रिसोर्ट
6. स्पोटर्स रिसोर्ट
7. हैल्थ रिसोर्ट स्पा
8. कैम्पिंग साइट
9. अम्यूजमेन्ट पार्क
10. एनिमल सफारी पार्क
11. MICE / कन्वेन्शन सेन्टर
12. म्युजियम
13. रोप–वे
14. ट्यूरिस्ट लग्जरी कोच
15. कैरावेन
16. क्रूज ट्यूरिज्म

II. अन्य इकाइयांः–

17. राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में प्रस्तावित इकाइयाँ
18. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाइयाँ
19. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाइयाँ
20. राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड / राजस्थान राज्य होटल निगम के अधिकार क्षेत्र की पर्यटन इकाइयाँ यथा– होटल / मोटल / मिडवे / कैफटेरिया आदि
21. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त राजकीय संग्रहालय

उपरोक्त उल्लेखित इकाइयों को Entitlement Certificate के लिए राज्य सरकार के SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर Tourism Dept. Services App पर

ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर पर्यटन विभाग के स्थानीय पर्यटक स्वागत केन्द्रों द्वारा 30 कार्यदिवस (अधिकतम) में निस्तारण किया जाएगा। एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पर्यटन इकाइयाँ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से औद्योगिक Tariff एवं Levies के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। जारी होने वाले ऑनलाइन एन्टाइटलमेंट सर्टिफिकेट के पृष्ठ भाग पर आवेदन पत्र में संलग्न आवेदक की स्वघोषणा भी मुद्रित होगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा इसकी पालना में यथाशीघ्र आदेश एवं प्रक्रिया जारी की जायेगी।

निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का सामान्य पर्यवेक्षण (General Supervision) किया जायेगा।

(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 9 ( ) E.C. / निवेश / प.वि. / 2022 / दिनांकः

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय पर्यटन राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

निदेशक, पर्यटन

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पर्यटन विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ. 9 (   ) E.C./ निवेश/ प.वि./2022/3093 दिनांकः 18 MAY 2022

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 166 के अन्तर्गत पर्यटन व हॉस्पीटलिटी क्षेत्र (Tourism and Hospitality Sector) को औद्योगिक क्षेत्र (Industry Sector) के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है और भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial norms के अनुसार ही Government tariff व Levies देय होंगे।

इस घोषणा की क्रियान्विति हेतु पर्यटन विभाग के स्तर से एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट जारी किये जायेंगे, जिसके आधार पर पर्यटन इकाइयाँ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/उपक्रमों से औद्योगिक Tariff एवं Levies के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट के लिए पर्यटन इकाइयों को राज्य सरकार के SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर Tourism Dept. Services App पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पात्र पर्यटन इकाइयों का विवरण आदेश क्रमांक 3047 दिनांक 18.05.2022 (संलग्न) में उल्लेखित है।

विभिन्न जिलों में एन्टाइटलमेंट सर्टिफिकेट हेतु प्राप्त आवेदन, पर्यटन विभाग के संबंधित स्थानीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी को ऑनलाइन उनके SSO ID पर प्राप्त होंगे। प्राप्त आवेदन का परीक्षण करने एवं एन्टाइटलमेन्ट सर्टिफिकेट जारी करने हेतु स्थानीय पर्यटक स्वागत केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को एतद् द्वारा निम्न जिलों के लिए अधिकृत किया जाता है:–

क्र.सं.	पर्यटक स्वागत केन्द्र	क्षेत्राधिकार जिले	क्र.सं.	पर्यटक स्वागत केन्द्र	क्षेत्राधिकार जिले
1.	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा	2.	अलवर	अलवर
3.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर	4.	बीकानेर	बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चुरू
5.	चित्तौडगढ़	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	6.	जयपुर	जयपुर, दौसा
7.	जैसलमेर	जैसलमेर, बाड़मेर	8.	झालावाड़	झालावाड़, बारां
9.	झुंझुनू	झुंझुनू	10.	जोधपुर	जोधपुर, पाली
11.	कोटा	कोटा, बूंदी	12.	मांउट आबू	सिरोही, जालौर
13.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली	14.	सीकर	सीकर
15.	उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द			

समस्त प्रभारी अधिकारी प्राप्त आवेदन का निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

निदेशालय, पर्यटन विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का सामान्य पर्यवेक्षण (General Supervision) किया जायेगा। समस्त प्रभारी अधिकारी तकनीकी विषय पर मार्गदर्शन हेतु उप निदेशक (IT) एवं गैर तकनीकी मार्गदर्शन हेतु संयुक्त निदेशक (निवेश)/उप निदेशक (निवेश) से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
निदेशक पर्यटन

क्रमांकः एफ. 9 (   ) E.C. / निवेश / प.वि. / 2022 / 3094-3100 दिनांकः 18 MAY 2022

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक पर्यटन, पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पर्यटन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (निवेश), पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (निवेश), पर्यटन विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक (IT), पर्यटन विभाग, जयपुर।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र,..।

अति. निदेशक (प्रशासन)